

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति चाद संख्या :- 647 / 2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

दयामनी संगी.....आवेदक / विक्रेता

मंजुला होरो.....क्रेता

राज्य सरकार.....बनाम  
.....द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित															
05.02.2024	<p align="center"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती दयामनी संगी पिता/पति स्व० मनसुख संगी ग्राम-फुदी, पो०-फुदी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5">भूमि का विवरण</th> </tr> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जियारप्पा</td> <td>227</td> <td>5</td> <td>2070</td> <td>0.22</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती दयामनी संगी पिता/पति स्व० मनसुख संगी ग्राम-फुदी, पो०-फुदी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण कार्य हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती मंजुला होरो पिता/पति अलोइस होरो ग्राम-जियारप्पा, पो०-गुटजोरा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>आवेदक/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं० 0089981374 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की विक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 79 दिनांक 31.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका की खरीदगी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम कइला मुण्डा है। आवेदिका पंजी II रैयतों में से एक है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 238 पर जमाबंदी दर्ज है।</p>	भूमि का विवरण					ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	जियारप्पा	227	5	2070	0.22	
भूमि का विवरण																	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खसरा सं०	रकबा(एकड़ में)													
जियारप्पा	227	5	2070	0.22													

1  
2


74


आवेदक/आवेदिका के विद्वान अभिव्यक्ति का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को गकान निर्माण कार्य हेतु विक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 41 दिनांक 01.12.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2023/213836 दिनांक 13.07.2023 व आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHLRCO/2023/431882 दिनांक 20.07.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की विक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 79 दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती दयामनी संगी पिता/पति स्व० मनसुख संगी ग्राम-फुदी, पो०-फुदी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती मंजुला होरो पिता/पति अलोइस होरो ग्राम-जियारप्पा, पो०-गुटजोरा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम जियारप्पा के खाता सं० 5, खेसरा संख्या 2070, कुल रकबा 0.22 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।  
इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।